राज्य बाल संरक्षण समिति
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

कमांक /6261/मबावि/आईसीपीएस/15–16 रायपुर, दिनांक 07.11.2015

"विज्ञापन"

गृह अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं से आवेदनों का आमंत्रण

किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 के अंतर्गत राज्य में स्थापित विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी (specialised Adoption Agency} में पंजीकृत भावी दत्तक माता–पिता का आवश्यकतानुसार गृह अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाना है। इस हेतु ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक क्षेत्र में स्नात्तकोत्तर उपाधि रखते हो तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यानुभव रखते हो से दिनांक 25 नवम्बर 2015 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । इच्छुक व्यक्ति संबंधित जिले के कलेक्टर/जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास/जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सभी दस्तावेज एवं विवरण सहित आवदेन प्रस्तुत कर सकेंगे।

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति
एवं संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
रायपुर–छत्तीसगढ़